रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार 2 मई, 1984/12 वैशाख, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

COMMISSION OF INQUIRY DISTRICT COURTS COMPLEX, SHIMLA-171001

PUBLIC NOTICE

Shimla-1, *the* 30*th April*, 1984

No. Vig. A-(9)-84)/1-(COI)-Vol. I.—Whereas by Notification No. Vig. (A)-(9)-1/84, dated the 7th March, 1984, the Government of Himachal Pradesh has appointed a Commission of Inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952 (Act No. 60 of 1952) for the purpose of making inquiry into allegations and complaints of wrongful/fraudulent/inflated payments during the course of procurement and destruction of scab affected apple under the Scab Control Scheme, made to various orchardists and persons in Himachal Pradesh during the apple crop year, 1983;

AND WHEREAS by the same Notification, the Government of Himachal Pradesh has under the said Commission of Inquiry Act appointed Shri Roop Singh Thakur, District and Sessions Judge, Shimla, as one man Commission of Inquiry to inquire into and report :—

> "Whether any wrongful/fraudulent/inflated payments have been made to certain persons from whom the scab affected apples have been purchased by the Government under the Scab Control Scheme for the procurement and destruction of scab affected apples, in the scab affected areas in Himachal Pradesh during the apple crop year of 1983. If so, the fixation of responsibility thereof on defaulting persons (including Government Servants)."

AND WHEREAS the inquiry by the Commision is to be in regard to compliants or allegations aforesaid that may be made before the Commission by any individual or association, in such form and accompanied by such affidavits, as may be prescribed by the Commission and the complaints received by the State Government and brought to the notice of the Commission by them.

NOW THEREFORE, this notice is issued by and under the orders of the said Commission inviting all persons, or organisations acquainted with any fact or allegation forming the subject matter of the inquiry to be made by the Commission, to make in the following manner, a statement of facts, setting out therein each item of fact, allegation or information pertaining to such subject matter of inquiry:—

(*a*) the statement should be in the form of an affidavit in English or in Hindi;

(*b*) all statements shall be drawn up in the first person and divided into paragraphs to be numbered consecutively, each material statement of fact being made the subject matter of a separate paragraph, and the person making the statement shall state his description, occupation, if any, and true place of abode;

(*c*) where any such statement is made by any Organisation, state ment should be made by the Secretary of the Organisation or by such other person as may be duly authorised by the governing body of the Organisation in this behalf with appropriate seal;

(*d*) where the statements made are based on the personal knowledge of the deponent, he should so state and where the statement is based on any information derived by the deponent from any other person, the name and address of the informant, or if the informant is a Government official whose identity is not intended tc be disclosed, the particulars of the Government file containing the relevant information to the extent available, should be stated and the deponent should state that he believes the information to be true;

(*e*) a list of documents, if any, on which the deponent proposes to rely, should be forwarded to the Commission along with such of the originals or true copies of the documents as are in the possession or power of the deponent, and in the case of any document not in the possession or power of the deponent, the statement should include the name and address of the person from whom such documents may be obtained;

(*f*) the affidavit shall be verified in the following manner:—

"Verified that the statements made in paragraphs No..... of the above affidavit are true to my personal knowledge and those in paragraphs Nos..... are derived from information received and believed to be true by me."

(*g*) all affidavits submitted to the Commission must be attested by a competent Magistrate or a competent authority in the following manner:—

"Sworn before me by the deponent who is identified to my satisfaction by..... or is personally known to me. The affidavit has been read out and explained in full to the deponent who has signed it after admitting it to be correct, this..... day of....., 1984."

The statement may be sent to the Secretary to the Commission of Inquiry, District Courts Building, Shimla (Pin Code 171001), by registered post with acknowledgement due or personally handed over to him or some other officer authorised by the Commission in this behalf, on any working day between 10.00 A.M. to 1.30 P.M. or between 2.30 P. M. to 5.00 P. M. and a receipt obtained. The statements should be sent so as to reach the Commission by 31st May, 1984.

Section 6 of the Commission of Inquiry Act, 1952 which protects deponents before the Commission from civil or criminal proceedings is reproduced below for the information of the persons

intending to furnish information to the Commission:—

"6. No statement made by a person in the course of giving evidence before the Co mission shall subject him to, or be used against him, in any civil or criminal pr ceedings except a prosecution or giving false evidence by such statement:

Provided that, the statement—

(*a*) is made in reply to a question which he is required by the Commission to answ or

(*b*) is relevant to the subject matter of the inquiry."

ROOP SINGH THAKUR,
Commission of Inqui

Dated Shimla-1, April 30, 1984

सार्वजनिक सूचना

शिमला-171001, 30 अप्रैल, 1984

नं0 वीज. (ए)-(9)-1/84.—चूंकि, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्कैब नियन्त्रण योजना के अधीन हिमाच प्रदेश में वर्ष 1983 की सेब फसल के दौरान स्कैब से प्रभावित सेबों की अधिप्राप्ति तथा उन्हें नष्ट किए ज के सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों तथा बागवानों को किए गए सदोष, कपटपूर्ण तथा अधिक भुगतान के आरो तथा शिकायतों की जांच के उद्देश्य से जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 60 के अधीन अधिसूचना संख्या वि0आई0जी0 (ए) (9)-1/84, दिनांक 7 मार्च, 1984 द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति की गई है ;

तथा चूंकि उसी अधिसूचना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने उक्त जांच आयोग अधिनियम के अधी श्री रूप सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला, को जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक सदस्यी आयोग के रूप में नियुक्त किया है—

"क्या स्कैब नियन्त्रण योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश में स्कैब से प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 1983 सेब फसल के दौरान स्कैब से प्रभावित सेबों की अधिप्राप्ति तथा उन्हें नष्ट किए जाने के सम्बन्ध कुछ ऐसे व्यक्तियों जिनसे सरकार द्वारा स्कैब से प्रभावित सेब खरीदे गए हैं, को सदोष, कपटपूर्ण त अधिक भुगतान किया गया है। यदि हां, तो इसके लिए दोषी व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित की जिम्मेदारी निश्चित करना "।

तथा चूंकि आयोग उपरोक्त ऐसी शिकायतों अथवा आरोपों जो कि किसी व्यक्ति अथवा संगठनों द्वारा, आयो द्वारा निर्धारित फार्मों तथा शपथ-पत्रों सहित प्रस्तुत किया जाये तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऐसी शिकाय जिन्हें आयोग के ध्यान में लाया जाये के सम्बन्ध में जांच करेगा ।

अब इसलिये यह सूचना उक्त आयोग के आदेशों द्वारा जारी की जाती है और ऐसे सभी व्यक्तियों अथ संगठनों, जिन्हें इस विषय में किसी तथ्य या आरोप की जानकारी हो, से आग्रह किया जाता है कि इस विष के सम्बन्ध में तथ्यों, आरोपों अथवा किसी जानकारी का उल्लेख निम्नलिखित विधि से प्रस्तुत करें:—

(क) प्रत्येक कथनपत्र अंग्रजी या हिन्दी भाषा में होगा;

(ख) सभी कथनपत्र प्रथम पुरुष के रूप में तैयार किए जायेंगे तथा उन्हें क्रमानुसार पैरा में विभ किया जायेगा, प्रत्येक तथ्य सम्बन्धी तात्विक कथन को विषय वस्तु का अलग पैरा बनाया जायेगा त कथन देने वाला व्यक्ति अपना विवरण, व्यवसाय, यदि कोई हो, तथा वास्तविक निवास का ब्योरा देगा

(ग) जहां ऐसा कथन किसी संगठन द्वारा दिया गया हो तो कथन, संगठन के सचिव अथवा इ सम्बन्ध में संगठन की शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उचित मोहर लगा क दिया जायेगा;

(घ) जहां कथन अभिसाक्षी की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हो तो वह इस प्रकार का उल्लेख करेगा तथा जब कथन अभिसाक्षी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से ली गई सूचना पर आधारित हो तो सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो जिस का परिचय अभिव्यक्त नहीं किया जाना हो तो फाईल का ब्योरा जिसमें उपलब्ध संगत सूचना हो, का विवरण दिया जायेगा तथा अभिसाक्षी को यह ब्यान देना होगा कि उसके विश्वास के अनुसार सूचना सही है;

(ङ) ऐसे दस्तावेजों की सूची, यदि कोई हो, जिन पर अभिसाक्षी निर्भर करता हो, उन दस्तावेजों की मूल अथवा असली प्रतियों सहित आयोग को अग्रेषित करेगा जो कि उसके अधिकार अथवा कब्जे में है तथा किसी दस्तावेज के अभिसाक्षी के कब्जे अथवा अधिकार में न होने की स्थिति में उस व्यक्ति का नाम तथा पता कथन में सम्मिलित किया जायेगा जिनसे ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं ;

(च) शपथ-पत्र निम्नलिखित ढंग से सत्यापित किया जायेगा:—

"सत्यापित किया जाता है कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार उपरोक्त शपथ-पत्र में पैरा संख्या·····में दिए गए कथन सही ह तथा पैरा संख्या·····में दिए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं तथा मुझे विश्वास है कि वे सत्य हैं"।

(छ) आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी शपथपत्र सक्षम मैजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न ढंग से सत्यापित होने चाहिएं :—

"अभिसाक्षी द्वारा मेरे सम्मुख शपथ ग्रहण की गई जिसकी पहचान मेरी सन्तुष्टि के अनुसार ·····द्वारा की गई अथवा मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। शपथ-पत्र अभिसाक्षी के सम्मुख पढ़ा गया तथा उसे पूर्णतः स्पष्ट किया गया उसने उसे सही मान कर इस पर·····दिन·····, 1984 को हस्ताक्षर किए हैं"।

कथनपत्र सचिव, जांच आयोग, जिला न्यायालय भवन, शिमला (पिन कोड 171 001) को पावती सहित कृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कारी को किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 1.30 बजे तक अथवा सायं 2.30 बजे से 5 बजे प्रस्तुत किए जायेंगे इसके लिए रसीद प्राप्त की जायेगी। कथनपत्र आयोग के पास 31 मई, 84 तक पहुंच जाने चाहिये।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 का धारा 6, जो अभिसाक्षी को आयोग के सम्मुख सिविल अथवा दाण्डिक वाहियों के लिये संरक्षण प्रदाय करती है, आयोग को सूचना देने में इच्छुक व्यक्तियों की सूचना के लिए े उद्धृत की जाती है :—

"6. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आयोग के सम्मुख साक्ष्य प्रस्तुत करते समय दिए गए कथन के लिए अभियोजन अथवा एसे कथन के द्वारा झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी :

बशर्ते कि कथन—

(क) आयोग द्वारा अपेक्षित प्रश्न के उत्तर देने के लिए दिया गया हो, अथवा

(ख) जांच की विषय वस्तु से सम्बद्ध हो"।

रूप सिंह ठाकुर,
जांच आयोग।

दिनांक 30 अप्रैल, 1984

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 3 मई, 1984/13 वैशाख, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH STATE LOTTERIES

"HIMALAYAN WEEKLY"

Result of 189th Draw held at Shimla on 1-5-1984

First Prize : (6) Rs. 1,00,000.00 each

HX
557645
227844

Second Prize : (3) Rs. 50,000.00 each

HX
363263

Third Prize (300) Rs. 500.00 each

97877	08349
76939	44653

(Two prizes in each series) :

HY	HZ
617844	642806
817649	503468

(One prize in each series):

HY	HZ
899171	841825

(All the ticket numbers ending with the last five digits in all series) :

87164	21973
02386	37709
29402	
63979	